आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

28/7/23

न्यायालय, श्रीमती मनीषा तिर्की,विशेष विनियमन पदाधिकारी,राँची।

एस०ए०आर०वाद सं०-0469/12-13

(1) हीरो हंस, पिता स्व. गागु हंस
(2) देवकी तिर्की (हंस) पति बुधवा हंस उर्फ बुधवा पाहन, सभी निवास स्थान–न्यू गार्डेन, सिरम टोली, थाना चुटिया, जिला राँची ...प्रथम पक्ष गण।

बनाम

(1) अगाथा तिर्की वो अंगलिया तिर्की द्वारा अधिकृत एवं मनोनीत (2) अमृतचरण तिर्की, पिता स्व. जोहन तिर्की, भी निवासी स्थान– न्यू गार्डेन, सिरम टोली, थाना चुटिया, जिला राँची ... द्वितीय पक्षगण।

आदेश

प्रथम पक्षगण (1) हीरो हंस, पिता स्व. गागु हंस (2) देवकी हंस, पति बुधवा हंस उर्फ बुधवा पाहन, सभी निवास स्थान–न्यू गार्डेन, सिरम टोली, थाना चुटिया, जिला राँची द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–71"A" के अंतर्गत भू–वापसी हेतु यह वाद दायर किया गया है। प्रथम पक्षगण ने आरोप लगाया है, कि उनकी निम्नांकित जमीन द्वितीय पक्षगण (1) अगाथा तिर्की वो अंगलिया तिर्की के द्वारा मनोनीत एवं अधिकृत पावर होल्डर (2) अमृतचरण तिर्की, पिता स्व. जोहन तिर्की, सभी निवासी स्थान–न्यू गार्डेन, सिरम टोली, थाना चुटिया, जिला राँची द्वारा छल–प्रपंच से हड़पकर दखल कब्जा कर लिया है।

जमीन का विवरण

ग्राम	थाना नं.	खाता नं.	प्लॉट नं.	रकबा
सीरम	210	251	150	42 डी.

28/6/23

कृ०पृ०उल्टे

आवेदकगण के ओर से अधिवक्ता के द्वारा आवेदन के साथ प्रभारी उप-समाहर्त्ता, विधि शाखा, राँची के पत्रांक-2342(ii) दिनांक-03.09.11 के द्वारा एस.ए.आर. अपील वाद सं.-BR15/04-05 में दिनांक 24.08.11 को उपायुक्त, राँची द्वारा पारित आदेश की प्रति प्राप्त हुआ है। आदेश का अंतिम पारा निम्नवत है:- "From the facts and circumstances and discursion wade here in above though the case was decided on the point of res-judicate, but not of the parties or the lower court knew about the real fate of the said SAR Case No.-05/70 and it is also not clear whether the said SAR case was heard and finally decided or is still pending or the record of the same is lost as sue. I am inclined to set aside the impugned order dated 27.12.2003 passed by the lower court in SAR Case N0.-205/2002/ TR No.-294/03-04 and I direct the lower court to get the record of SAR Case No.-05/70 is still searched and if it is found that the said SAR case No.-05/70 is still pending, then the present SAR case would be stayed in accordance with section 10 of CPC and the same in finally disposed by the court to original jurisdiction then appropriate order may be passed in accordance with section 11 of CPC and if the aforesaid case could not be traced, the lower court would hear the matter afresh after giving opportunity with law"

ऐसी स्थिति में उपायुक्त महोदय द्वारा पारित आदेश के आलोक में कारवाई करने हेतु Shadow Record खोली गयी है, तथा उभय पक्षों को नोटिस निर्गत किया गया।

नोटिस प्राप्ति के बाद उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ न्यायालय में उपस्थित हुए। प्रथम पक्षगण बुधुवा हंस उर्फ बुधवा पाहन, पिता स्व.चमरा मुण्डा (पाहन) पिता स्व. मोगो हंस ने प्रतिक्षेपक के रूप में शपथ पत्र के माध्यम से अपने लिखित ब्यान में कहा है कि उपरोक्त भूमि रिवीजनल सर्वे खतियान मे मंगल पाहन वो शनिचरवा पाहन वो चमरा पाहन पेशरान कंकडु पाहन गैर मजुरवा भुईहारी पहनई किस्म हड़गड़ी टांड व शमशान दर्ज है।

क्र०पृ०उलटें

Mi- 28/6/23

उक्त भूमि की रकवा–42 डी. भूमि दक्षिणी और पूर्वी भाग में मकान निर्मित है, दक्षिण भाग वाले में विपक्षीगण सुश्री अगाथा तिर्की और अंगलिया तिर्की दोनों बहनें रहती हैं। पूर्वी भाग में प्रतिक्षेपक द्वितीय पक्ष अमृत चरण तिर्की रहते है। बुधुवा हंस ने यह भी ब्यान दिया है कि मैं विपक्षियों के खिलाफ भू–वापसी का कोई मुकदमा नहीं किया हूँ। बल्कि मेरे बडे भाई मोगो हंस द्वारा वाद दायर किया गया था। हिरो हंस उक्त विपक्षियों के खिलाफ मुकदमा करने से पूर्व या मुकदमा चलने के क्रम में मुझसे कोई परामर्श नहीं किये थे। हीरो हंस ने अपने ब्यान में कहा है कि बुधुवा हंस की मृत्यु हो गई है। प्रतिक्षेपक बुधुवा हंस की पत्नी देवकी तिर्की (हंस) ने अपने ब्यान में कहा है कि बुधुवा हंस, पिता चपरा हंस का निधन दिनांक–01.06.2017 को हो गया है, पति के स्थान पर इन्टरवेनर के रूप में देवकी तिर्की (हंस) को प्रथम पक्ष बनाने का आवेदन दिया गया।

द्वितीय पक्षगण की ओर अपने लिखित ब्यान में कहा है कि उपरोक्त जमीन पूर्व न्याय (Res-Judicata) के अवधारण से प्रभावित है। विवादित भूमि छप्परबंदी है। जिसमें घर–मकान बना हुआ है। वर्णित भूमि को हेरेना तिर्की, पति मंगल तिर्की द्वारा रजिस्ट्री पट्टा सं.–949 दिनांक–08.03.1939 के द्वारा रकवा–178 कडी (11.5 डी.) और डीड सं.–3328 दिनांक–25.05.1955 को 30.5 डी. कुल रकवा–42 डी. भूमि खरीदकर प्राप्त किया गया है। वर्णित भूमि नक्शा पास कराकर घर बनाया गया और नगर निगम को होल्डिंग टैक्स अदा किया जा रहा है। 1932 में खतियान में जमीन का किस्म हडगडी दर्ज है, व सिर्फ रकवा–04 डी. पर ही हडगडी के रूप में उपयोग है, जो द्वितीय पक्षगण के मकान से काफी दूरी पर स्थित है। विपक्षी सुश्री अगाथा तिर्की और सुश्री अंगलिया तिर्की काफी वृद्ध है, और विवादित जमीन पर मकान बना कर रह रही हैं। विपक्षी प्रतिवर्ती तिर्की द्वारा जमीन के पूर्व भाग में निर्मित मकान में अमृत चरण तिर्की अपने परिवार के साथ केयर–टेकर की हैसियत से निवास कर रहें है।

28/6/23

द्वितीय पक्षगण की ओर से यह भी कहा गया है कि आवेदकगण द्वारा कई बार मुकदमा दायर किया जा चुका है। तत्कालीन विशेष विनियमन पदाधिकारी के न्यायालय में एस.ए.आर. वाद सं.—05/1970 में भू—वापसी का आदेश पारित हुआ था. परन्तु द्वितीय पक्ष द्वारा अपर समाहर्त्ता के न्यायालय ने एस.ए.आर. अपील वाद सं.—15/1974—75 के सुनवाई के बाद दायर वाद को खारिज किया कर दिया गया। पुनः प्रथम पक्ष द्वारा एस.ए.आर.वाद सं.—205/2002—03 दायर किया गया था। जिसे सूनवाई के बाद दिनांक—27.12.2003 को सक्षम न्यायालय द्वारा आवेदक के आवेदन को खारिज कर दिया गया। अब प्रथम पक्ष द्वारा तथ्य को न्यायालय में छिपाकर पुनः वाद दायर किया गया है। अतः Res-Judicata के आधार पर धारा—09 सीपीसी के अनुसार यह वाद चलने योग्य नहीं है। द्वितीय पक्षगण वर्णित भूमि पर मकान बनाकर शांति पूर्वक दखलकार होकर अपने नाम से राँची नगर निगम से होल्डिंग दर्ज कर सलाना रसीद प्राप्त करते हैं। ऐसी परिस्थिति में वाद को खारिज किया जाय।

प्रथम पक्षगण की ओर से दो गवाह प्रस्तुत किया गया. मृत्यु के पूर्व प्रतिपरिक्षण में बुधुवा हंस ने कहा था कि वर्णित भूमि बचपन से देखते आ रहें हैं, वर्णित भूमि विपक्षीगण के दखल कब्जा में स्थित है। यह वाद दायर किया गया है इसकी जानकारी मुझे बाद में हुई है। खतियान में हडगडी दर्ज है और हडगडी जमीन 03 कट्ठा पर है।

द्वितीय पक्षगण के विद्वान अधिवक्ता अपने बहस में कहते है कि प्रथम पक्षगण द्वारा पूर्व में एस.ए.आर. वाद दायर किया था. प्रथम पक्षगण द्वारा तथ्य छिपाकर न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी के न्यायालय में वाद सं. एम—57/1959 मुकदमा दायर किया गया था। प्रथम पक्षगण द्वारा बारम्बार टाईटल वाद भी दायर किया गया था। सभी वाद की निष्पक्ष सुनवाई के बाद विवर्णित बाद द्वितीय पक्ष हेलना तिर्की के पक्ष में निर्णय आया। अपीलीय न्यायालय द्वारा भी प्रथम पक्ष के द्वारा दायर वाद को खारिज किया जा चुका है। प्रथम पक्षगण विगत 50 वर्षो से द्वितीय पक्षगण को मात्र परेशान करने के उद्देश्य से वाद

28/6/23

कृ०पृ०उल्टे

करते आ रहें हैं। यह वाद काल—बाधित के साथ—साथ छप्परबंदी के आधार पर चलने योग्य नहीं है। अतः वाद को खारिज किया जाय।

अतः उपलब्ध साक्ष्य एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद इस वाद को आदेश पर रखा गया। इस वाद के उभय पक्ष आदिवासी समुदाय के अन्तर्गत है। आवेदकगण विवादित भूमि खतियान के अनुसार हडगडी भूमि का दावा करते है। द्वितीय पक्षगण कहते है कि विवादित जमीन पूर्व न्याय (Res-Judicata) के अवधारण से प्रभावित है। विवादित भूमि छप्परबंदी है। जिसमें घर मकान बना हुआ है। द्वितीय पक्षगण द्वारा भूमि खरीदकर नक्शा पास होने पर ही मकान बनाया गया और नगर निगम को होल्डिंग टैक्स अदा किया जा रहा है। 1932 के खतियान में जमीन का किस्म हडगडी दर्ज है, वह सिर्फ रकवा—04 डी॰ पर ही स्थित है, तथा द्वितीय पक्षगण के मकान से दूरी पर है। विपक्षी गण ने यह भी दावा किया है कि यह वाद सिविल प्रक्रिया संहिता(Code of Civil Procedure) की धारा—11 के तहत प्रभावित है।

सिविल प्रक्रिया संहिता (Code of Civil Procedure) की धारा—11 के अनुसार—"*कोई न्यायालय किसी ऐसे वाद या विवाद्यक का विचारण नहीं करेगा, जिसमें प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्य विषय उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले उन्ही पक्षकारों के बीच या ऐसे पक्षकारो के बीच के जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते हैं, किसी पूर्ववर्ती वाद में भी ऐसी न्यायालय में प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद रहा है, जो ऐसे पश्चात्‌वर्ती वाद का यह उस वाद का जिसमें ऐसा विवाद्यक वाद में उठाया गया है, विचरण करने के लिए सक्षम था और ऐसा न्यायालय द्वारा सुना जा चुका है और अंतिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका है।*" इस संदर्भ में संपुष्टि हेतु माननीय पटना उच्च न्यायालय, राँची बेंच द्वारा सोहन महतो वगैरह बनाम बिहार सरकार वगैरह (1987BLT(Rep)234) एवं माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा सुशील कुमार जयसवाल बनाम झारखण्ड सरकार वगैरह (2020(1) JBC-52) ने पारित निर्णय प्रस्तुत किया है कि यह वाद सिविल

28/6/23

कृ॰पृ॰उलटें

प्रक्रिया संहिता की धारा–11 से प्रभावित है। अतः यह वाद खारिज करने योग्य है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं विपक्षी द्वारा दाखिल साक्ष्य के आधार पर आवेदकगण का आवेदन कालबाधित है। प्रश्नगत भूमि पर 71"A" लागू नहीं होता है। उपरोक्त तथ्यों से यह भी स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि पर पूर्व में भी एस०ए०आर० वाद दायर किया गया था। छो०का०अधिनियम 1908 की धारा–71"A" के अंतर्गत दिया गया आवेदक का आवेदन पोषणीय नहीं है एवं आवेदन पूर्व न्याय (Res-Judicata) के अवधारण से प्रभावित है। अतः आवेदकगण का आवेदन को खारिज करते हुए, इस्तवाद को समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

28/7/23

विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

28/7/23

विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

Digitally signed by MANISHA TIRKEY
Date: 2024.12.09 15:28:40 +05:30
Location: 192.168.51.130